प्रेस नोट संख्या - 27

दिनांक - 24.07.2026

सराहनीय कार्य जनपद अमेठी

पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 महोदय द्वारा चलाये जा रहे operation conviction अभियान के अन्तर्गत चिन्हित अभियोग में अमेठी पुलिस की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप मारपीट करने के अभियुक्तों को मा0 न्यायालय द्वारा 02 - 05 वर्ष कारावास व 61,000/- रु0 अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

पुलिस अधीक्षक अमेठी श्री सरवणन टी. के निर्देशन में एवं अपर पुलिस अधीक्षक अमेठी श्री ज्ञानेन्द्र कुमार सिंह के पर्यवेक्षण में अपराधियों के विरुद्ध माननीय न्यायालय में चल रहे अभियोगों में **operation conviction** अभियान के अन्तर्गत चिन्हित अभियोग में अभियोजन अधिकारी/न्यायालय पैरोकार एवं मानीटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप माननीय न्यायालय सुलतानपुर में मु0अ0सं0 589/2013 धारा 308/325/504/506 भादवि थाना मुसाफिरखाना जनपद अमेठी के अभियुक्तगण 1-राज बहादुर यादव पुत्र शिवबक्श यादव, 2- ध्रुवराज यादव पुत्र शिवहरख यादव व 3-जगेशर पुत्र रामपाल यादव निवासीगण पूरे भगवानदीन मजरे विसारा पश्चिम थाना मुसाफिरखाना जनपद अमेठी को दोष सिद्ध कराने मे सफलता प्राप्त हुई, परिणाम स्वरुप मा0 न्यायालय एडीजे-04 सुलतानपुर द्वारा अभियुक्तों को आज दिनांक 24.07.2026 को क्रमशः **1-** राज बहादुर यादव पुत्र शिवबक्श यादव, **2-** ध्रुवराज यादव पुत्र शिवहरख यादव को धारा 308 भादवि में 05 वर्ष कारावास व 20,000/- रु0 अर्थदण्ड, धारा 325 भादवि में 05 वर्ष कारावास व 20,000/- रु0 अर्थदण्ड, धारा 504 भादवि में 01 वर्ष कारावास व 2000/- रु0 अर्थदण्ड व धारा 506 भादवि में 02 वर्ष कारावास व 5000/- रु0 अर्थदण्ड व **3-** जगेशर पुत्र रामपाल यादव को धारा 308 भादवि में 02 वर्ष कारावास व 5000/- रु0 अर्थदण्ड, धारा 325 भादवि में 02 वर्ष कारावास व 5000/- रु0 अर्थदण्ड, धारा 504 भादवि में 01 वर्ष कारावास व 2000/- रु0 अर्थदण्ड व धारा 506 भादवि में 01 वर्ष कारावास व 2000/- रु0 अर्थदण्ड से दण्डित किया गया, अर्थदण्ड न अदा करने पर 03 माह अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गयी।

घटना का संक्षिप्त विवरणः-

प्रश्नगत अभियोग मे वादी मुकदमा श्री साधूशरण पुत्र श्रीराम लखन निवासी पूरे भगवानदीन थाना मुसाफिरखाना जनपद अमेठी द्वारा दिनांक 26.04.2013 समय 21.10 बजे की तहरीरी सूचना के आधार पर उपरोक्त अभियुक्तों द्वारा वादी को लाठी डण्ड़ा से व लोहे की छड़ से मारपीट कर गम्भीर रुप से घायल करना व बेहोश होकर गिर जाने पर मु0अ0सं0 589/2013 धारा 308/325/504/506 भादवि थाना मुसाफिरखाना पर पंजीकृत होकर विवेचक उ0नि0 श्री शिव प्रसाद शुक्ला द्वारा विवेचना की गयी, विवेचना के दौरान पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने के उपरान्त, आरोप पत्र संख्याः ए-141 दिनांक 05.08.2013 को माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया।